विभाग का नाम :– दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :– निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
वरूणालय फेज – 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 227
दिंनाक :– 11.08.2017
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री अखिलेशपति त्रिपाठी, विधायक
क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है रोहिणी विधान सभा क्षेत्र के लिए दिनांक 15.06.17 को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विशेष पैकेज आवंटित किया गया;	जी नहीं ।
(ख)	क्या यह सत्य है कि यह सम्पूर्ण दिल्ली के लिए 12.05.17 एवं 15.05.17 को यह धन आबंटित होना था;	जी नहीं ।
(ग)	यदि हॉ तो इस क्षेत्र को विशेष सुविधा क्यों प्रदान की गई;	रोहिणी विभान सभा क्षेत्र में स्थित राजा विहार अनधिकृत कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम डालने की परियोजना पर काम चल रहा है । इस कॉलोनी में आन्तरिक सीवर लाईन डालने का काम पूरा हो चुका है । राजा विहार के लिए एक पम्प हाउस एवं उससे सीवेज ट्रीटमैंट प्लॉट तक राईजिंग लाईन डालने का कार्य भी प्रगति पर है । राजा विहार कॉलोनी की आन्तरिक लाईनों को पम्प हाउस से जोडने के लिए पेरिफेरल सीवर लाईन डालने के प्रस्तावित कार्य के लिए दिनांक 15.06.2017 को 124.42 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं । इस प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने के बाद ही उपरोक्त परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की जा सकेगी । इसके अलावा 33.00 लाख रुपये वर्ष 2013–14 के विधायक फण्ड से रजापुर गॉव में भूमिगत जलाश्य के निमार्ण के लिए आबंटित किए गए है ।
(घ)	यदि स्थापित नियमों के विरूद्ध ये धन आबंटित किया गया है तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी ?	यह बजट आबंटन नियमों के विरूद्ध नहीं है ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

निदेशक (प्र. एवं का.)
Director (A & P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D. J. B., Govt. of NCT of Delhi